भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 447
मंगलवार, 5 दिसंबर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए योजनाओं का सम्मिलन

447. डॉ. रामशंकर कठेरिया:
श्री खगेन मुर्मुः
श्री महाबली सिंहः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहकारिता मंत्रालय ने सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं को सम्मिलित करके देशभर में खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन योजनाओं को सम्मिलित किया जा रहा है;

(ग) उक्त योजनाओं को किस स्तर पर सम्मिलित किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त सम्मिलन के कारण किसानों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): जी हां, मान्यवर । देश में खाद्यान्न भंडारण की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को एक पायलट परियोजना के रूप में आरंभ करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है । इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH), के अभिसरण द्वारा पैक्स स्तर पर भांडागारों, कस्टम हाइरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, इत्यादि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण करना शामिल है ।

इस योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा अंतरमंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया गया है, जो अभिसरण हेतु चिह्नित योजनाओं के दिशानिर्देशों/कार्यान्वयन पद्धतियों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए प्राधिकृत है । इस योजना के समग्र कार्यान्वयन के संचालन तथा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, आदि करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति (NLCC) का भी गठन किया गया है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के सदस्यों को शामिल किया गया है ।

इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तथा राज्य स्तर पर मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) का भी गठन किया गया है ।

नाबार्ड, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS), केन्द्रीय भंडारण निगम (CWC), भारतीय खाद्य निगम (FCI), नैशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC), आदि के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) विभन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इस पायलट परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है । वर्तमान में 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 13 पैक्स में निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्तरीय संघों जैसे, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) तथा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) द्वारा इस पायलट परियोजना में शामिल किए जाने वाली 1,711 पैक्स की पहचान की गई है ।

इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के अधीन पैक्स स्तर पर निर्माण की जा रही भंडारण क्षमता का संपूर्ण क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (भारत सरकार), भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बीच समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया है।

पैक्स स्तर पर केंद्रीकृत की जा रही योजनाओं का लाभ लेकर, पैक्स खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उपज के भंडारण हेतु गोदाम, विपणन शेड, कृषि यंत्र बैंक, पैकेजिंग इकाइयां, चावल मिल, आटा मिल, इत्यादि स्थापित कर सकेंगे । पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण से किसानों को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें से कुछ लाभ निम्नलिखित हैं:

i. वे पैक्स में निर्मित गोदामों में अपनी उपज भंडारित कर सकेंगे और अगले फसल चक्र के लिए तात्कालिक वित्त प्राप्त कर इच्छानुसार समय पर उसे बेच सकेंगे, या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर पैक्स को अपनी पूरी फसल बेच सकेंगे जिससे उन्हें अपनी फसलों की कम दरों पर मजबूरन बिक्री नहीं करनी पड़ेगी ।

ii. उन्हें पंचायत/गांव स्तर पर ही विभिन्न कृषि निविष्टियां या सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी ।

iii. व्यवसाय के विविधीकरण से किसानों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत प्राप्त हो सकेंगे ।

iv. खाद्य आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला के साथ एकीकरण द्वारा किसान अपने बाज़ार का विस्तार करके अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएंगे ।

v. पैक्स स्तर पर पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल पश्चात नुकसान में कमी लाने में मदद मिलेगी जिसके फलस्वरूप किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेंगे ।

vi. चूंकि, पैक्स खरीद केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में भी कार्य करेंगे, इसिलए खाद्यान्न केंद्रों तक खाद्यान्न ले जाने और फिर भांडागारों से उचित मूल्य की दुकान तक उसे वापस लाने पर होने वाले परिवहन व्यय में भी बचत होगी ।

vii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह योजना देश भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगी ।

इसके साथ ही, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण हेतु एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति (BBSSL) का भी गठन किया गया है । यह समिति किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता में वृद्धि करने, फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के आयवर्धन में सहायक होगी । इस समिति की सदस्यता हेतु अब तक 8,200 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त, खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा की गई पहलें **अनुबंध** पर संलग्न है ।

******

अनुबंध

खाद्यान्न की कमी को पूरा करने हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

1. कृषि अवसंरचना निधि योजना:

यह योजना प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण की परिकल्पना करती है। इस योजना के तहत 7 वर्षों के लिए प्रति परियोजना स्थान 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% की ब्याज सहायता और सीजीटीएमएसई के तहत परियोजना के क्रेडिट गारंटी कवर होने पर क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है।

2. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा):

पीएम-आशा का उद्देश्य अधिसूचित तिलहन, दलहन और खोपरा के उत्पादन के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करना है। इसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) शामिल हैं:

(i) पीएसएस: इसे संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित किया जाता है जो दलहनों, तिलहनों और खोपरा की खरीदी गई वस्तुओं को मंडी कर से छूट देने और संभारतंत्रीय व्यवस्था में केन्द्रीय नोडल एजेंसियों की सहायता करने के लिए सहमत होती है। जब कभी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाती हैं तो इन वस्तुओं की खरीद सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूर्व-पंजीकृत किसानों से की जाती है।

(ii) पीडीपीएस: इसमें पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में निर्धारित अवधि के भीतर विहित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों के तिलहन बेचने वाले पूर्व-पंजीकृत किसानों को एमएसपी और बिक्री/मोडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान करने की परिकल्पना की गई है।

(iii) पीपीएसएस: राज्यों के पास तिलहनों की खरीद के लिए पीपीएसएस को कार्यान्वित करने का विकल्प है। इस तरह की खरीद जिले के जिला/चयनित एपीएमसी में पायलट आधार पर पूर्व-पंजीकृत किसानों से की जाती है।

3. मार्केट इंटरवेनशन स्कीम (एमआईएस):

एमआईएस में उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद शामिल है जो जल्दी खराब हो जाती हैं और जिनके लिए एमएसपी की घोषणा नहीं की जाती, ताकि इन वस्तुओं के उत्पादकों को बम्पर फसल की स्थिति में मजबूरी में बिक्री करने से बचाया जा सके, जब कीमतें आर्थिक स्तर/उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।

******